

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट

मु0अ0सं0-03 / 2017
 धारा-323,354,504,506 भा0द0सं0
 थाना राजापुर जिला चित्रकूट

23.02.2019

आवेदक/अभियुक्त त्रिलोक सिंह द्वारा मु0अ0सं0-03 / 2017 अन्तर्गत धारा 323,354,504,506 भा0द0सं0, थाना राजापुर जिला चित्रकूट में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर तर्क प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया, उसे फर्जी फंसाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह एन0बी0डब्ल्यू0 में गिरफ्तार होकर न्यायालय में उपस्थित है। उपरोक्त तथ्यों पर जमानत की याचना की गई है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गई।

पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त पर जो अभियोग लगाया गया है, वह सात वर्ष से अनधिक के कारावास से दण्डनीय है। अतएव मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त त्रिलोक सिंह द्वारा मु0अ0सं0-03 / 2017 अन्तर्गत धारा 323,354,504,506 भा0द0सं0, थाना राजापुर जिला चित्रकूट में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा मु0-20,000/-रु0 का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो जमानतें दाखिल किए जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

सी0जे0एम0

चित्रकूट।